जे. वी. गुप्ता, जे. के समक्ष

सुमन कुमार - याचिकाकर्ता

बनाम

एस.टी. थॉमस स्कूल और छात्रावास आदि - उत्तरदाताओ

सी आर 1985 का संख्या 3497

4 मार्च, 1986

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - आदेश 8, नियम 6-ए से 6-जी - स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा - प्रतिवादी द्वारा नियम 6-ए के तहत प्रतिदावा दाखिल करना - वादी द्वारा मुकदमा वापस लेना - प्रतिवादी का प्रतिदावा - क्या कर सकता है आदेश 8 नियम 6-ए के तहत दिए गए अनुसार प्रतिदावे पर कार्रवाई की जाएगी - चाहे वह केवल धन के दावों से जुड़े मामलों तक ही सीमित हो।

आयोजित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 के नियम 6-बी में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी मामले में, प्रतिवादी एक प्रतिदावा स्थापित करता है, तो वादी का मुकदमा रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा हो सकता है फिर भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसा होने पर, भले ही वादी का मुकदमा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए, प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावे पर आगे बढ़ना संभव होगा।

माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 8 के नियम 6-बी में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी मामले में, प्रतिवादी एक प्रतिदावा स्थापित करता है, तो वादी का मुकदमा रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा हो सकता है फिर भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसा होने पर, भले ही वादी का मुकदमा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया जाए, प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिदावे पर आगे बढ़ना संभव होगा।

(पैरा 4)

माना गया कि यह स्वीकार करना कठिन है कि प्रतिदावा केवल पैसे के लिए मुकदमे में किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं, यहां तक कि नियम 6-ए के प्रचलन में आने से पहले भी, जहां मनी सूट के अलावा अन्य मुकदमों में भी जवाबी दावे पेश किए गए थे। अब विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं और आदेश 8 के नियम 6-ए से 6-जी उनसे संबंधित हैं। इस प्रकार, आदेश 8 के नियम 6 में संशोधन के मद्देनजर, प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार के मुकदमे में, चाहे वह धन मुकदमा हो या नहीं, प्रतिदावा किया जा सकता है।

(पैरा 3)

जसवन्त सिंह बनाम श्रीमती. दर्शन कौर[1]

(इससे असहमत)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री एन.एल. प्रूथी, एच.सी.एस., अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय के 28 नवंबर 1985 के आदेश में संशोधन के लिए, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रतिदावे को परिवर्तित करने के लिए किए गए विवाद को खारिज कर दिया गया। एक वाद में.

एल एस. बलहारा, वकील, याचिकाकर्ता की ओर से

आर.एस.मित्तल, साथ पी.एस.बाजवा, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से

सुमन कुमार बनाम सेंट थॉमस स्कूल और हॉस्टल आदि (जे. वी. गुप्ता, जे.)

निर्णय,

जे. वी. गुप्ता, जे. –

(1) यह याचिका ट्रायल कोर्ट के 28 नवंबर, 1985 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के प्रतिदावे को वाद में बदलने के तर्क को अस्वीकार कर दिया था।

(2) वादी-प्रतिवादी ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ वादी-स्कूल को जबरन बेदखल करने और उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे में, प्रतिवादी/याचिकाकर्ता ने आदेश 8, नियम 6-ए, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रत्युत्तर दावा दायर किया। बाद में, वादी को उसी कार्रवाई के कारण पर एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ अपना मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, मुकदमा वापस ले लिया गया मानकर ख़ारिज कर दिया गया। उस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अनुरोध किया गया था कि वह अपने प्रतिदावे को एक वाद में परिवर्तित कर दे, और इसे आदेश 8, नियम 6-डी, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विचार के अनुसार तय कर दे। ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित अवलोकन के साथ प्रतिवादी के तर्क को खारिज कर दिया: -

• "तो, जब सेंट थॉमस स्कूल द्वारा अपने सचिव के माध्यम से दायर किया गया मुकदमा

---

[1] ए.आई.आर. 1983 पैट. 132.

कायम रखने योग्य नहीं पाया गया है, तो प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा यदि वादपत्र में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी आधार पर गिर जाएगा, अर्थात्, यह नहीं होगा किशन चंद के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले एक पंजीकृत/कॉर्पोरेट निकाय के खिलाफ सुनवाई योग्य होगी जो काउंटर दावे का बचाव करने के लिए उचित रूप से अधिकृत नहीं है। तदनुसार, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रतिदावे को वाद-पत्र में बदलने के लिए दिए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, मैं इसे खारिज करता हूं।"

प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही वादी का मुकदमा वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया हो, लेकिन जवाबी दावे को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 6-डी के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने वेद प्रकाश बनाम ओम दत्त[2], मुंशी राम बनाम राधा[3], भागीरथ सिंह और अन्य बनाम राम नाथ और अन्य[4] भीम सैन बनाम लक्ष्मी नारायण[5] और रणजीत सिंह बनाम करतारा राम[6]। दूसरी ओर, वादी-प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धन की वसूली के मुकदमों को छोड़कर कोई भी प्रतिदावा कायम करने योग्य नहीं है, और इसलिए, प्रतिदावा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। इस तर्क के समर्थन में उन्होंने जसवन्त सिंह बनाम श्रीमती का हवाला दिया। दर्शन कौर[7]. अगले दावेदार का कहना था कि किसी भी मामले में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 के मद्देनजर प्रतिदावा खारिज किया जा सकता है। ऐसा होने पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया, आक्षेपित आदेश वैध था, और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।

(1) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और बार में उद्धृत मामले के कानून का अध्ययन किया है। वर्ष 1976 में संशोधित ओ. 8 आर. 6 के प्रावधान इस न्यायालय में भीम सेन के मामले (सुप्रा) में एक डिवीजन बेंच के समक्ष विचार के लिए आए, जहां हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के तहत कार्यवाही की गई।

बकाया किराया न चुकाने के आधार पर मकान मालिक ने अपने किरायेदार को बेदखल कर दिया। हालाँकि, जैसा कि दावा किया गया था, किरायेदार ने सुनवाई की पहली तारीख को बकाया जमा कर दिया, लेकिन साथ ही, उसने किराए की दर पर विवाद किया। चूंकि किरायेदार ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसकी याचिका खारिज

---

[2] 1984 पीएलआर 411,

[3] एआईआर 1975 पंजाब और हरियाणा 112

[4] 1977. एनओसी 219 (म.प्र.)

[5] 1982 सी.एल.जे. 1.

[6] 1985 पी.एल.जे. 521

[7] एआईआर 1983 पैट. 132.

कर दी। इससे व्यथित होकर, किरायेदार ने पुनरीक्षण में कहा कि उसकी याचिका कि किराए की दर कम थी, किराया नियंत्रक द्वारा तय किया जाना चाहिए था, भले ही मकान मालिक उसकी याचिका को जारी नहीं रखना चाहता था। किरायेदार के उक्त तर्क को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और किराया नियंत्रक को इस संबंध में मुद्दा तैयार करने और किराए की मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। उस मामले का निर्णय करते समय, ओ 8, आर 6-ए से 6-जी, सी.पी.सी. के प्रावधान। विचार किया गया, और इसका अवलोकन किया गया: -

“ऐसी बचाव याचिका का दायरा, जिसमें क्रॉस क्लेम का प्रभाव होता है, अदालत को एक ही कार्यवाही में अंतिम निर्णय सुनाने में सक्षम बनाना है। ये सिद्धांत जो अब सिविल प्रक्रिया संहिता के एक भाग के रूप में सामने आए हैं-जनता के व्यापक सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं

सुमन कुमार बनाम सेंट थॉमस स्कूल और हॉस्टल आदि (जे. वी. गुप्ता, जे.)

नीति यह है कि कार्यवाहियों की बहुलता से बचना चाहिए और पक्षों को हमेशा के लिए एक ही बार मुकदमा करना चाहिए। ऐसा न हो कि पूर्व-उद्धृत एकल पीठ के निर्णयों में उल्लिखित पुनर्निर्णय की बाधा का सामना करना पड़े। मकान मालिक द्वारा दावा की गई दर पर विरोध भुगतान या किरायेदार द्वारा जोर दिया जाना बेदखली से बचने के लिए प्रावधान के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक है।

यह मामला मेरे समक्ष रणजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में भी विचार के लिए आया था, जहां यह माना गया था कि आर. 6-ए का खंड (3) यह प्रावधान करता है कि वादी को उत्तर में एक लिखित बयान दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी। न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी का प्रतिदावा। खंड (4) में आगे प्रावधान है कि प्रतिदावे को एक वादपत्र के रूप में माना जाएगा और वादपत्र पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा। नियम 6जी में प्रावधान है कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम किसी प्रतिदावे के जवाब में दायर लिखित बयान पर लागू होंगे। इस प्रकार, इन प्रावधानों को पढ़ने से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी प्रतिदावे के उत्तर में लिखित बयान दाखिल करने का हकदार था। बेशक, जसवन्त सिंह के मामले (सुप्रा) में, यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि ओ. 8, आर. 6-ए के तहत प्रदान किया गया प्रतिदावा धन के दावों से जुड़े मामलों तक ही सीमित है, फिर भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था रमन सुकुमारन बनाम वेलायुधन' माधवर[8] में

[8] एआईआर 1982 केर 253

मैं केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमत हूं जब उसने कहा:-

"वहाँ है। सेट-ऑफ और प्रतिदावा के बीच स्पष्ट अंतर। आर.6-ए की शुरूआत से पहले, प्रतिवादी के पास केवल सेट ऑफ का वैधानिक बचाव था। मुझे इस तर्क को स्वीकार करना कठिन लगता है कि प्रतिदावा केवल पैसे के मुकदमे में ही किया जा सकता है। नियम 6-ए के प्रचलन में आने से पहले भी ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं जहां धन वादों के अलावा अन्य मुकदमों में प्रतिदावे लगाए गए थे। अब विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। नियम 6-ए से 6-जी इन्हीं से संबंधित हैं। नियम 6-एफ उन मामलों से संबंधित है जहां न्यायालय प्रतिवादी के वादी के पक्ष में संतुलन पाता है। केवल नियम 6-एफ का हवाला देकर नियम 6-ए से 6-ई और 6-जी के प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि नियम 6-एफ में केवल मनी सूट का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है."

किसी भी मामले में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त प्रावधानों को किराए से पहले की कार्यवाही पर भी लागू कर दिया है

नियंत्रक, और, इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब 0.8 के आर.6 में संशोधन के मद्देनजर, प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार के मुकदमे में, यानी चाहे वह मनी सूट हो या नहीं, एक कॉउटर दावा किया जा सकता है।

(4) नियम 6-बी में प्रावधान है कि यदि किसी भी मामले में, प्रतिवादी एक प्रतिदावा स्थापित करता है, तो वादी का मुकदमा रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है, फिर भी प्रतिदावा आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर, वर्तमान मामले में, भले ही वादी के मुकदमे को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया हो, प्रतिवादियों द्वारा दायर प्रतिदावे पर आगे बढ़ना संभव होगा। इस संबंध में निचली अदालतों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत, अवैध और गलत धारणा वाला है। नियम 6-जी में प्रावधान है कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम किसी प्रतिदावे के जवाब में दायर लिखित बयान पर लागू होंगे। इस प्रकार, वादी वर्तमान मामले में, प्रतिदावे के उत्तर में अपना लिखित बयान दाखिल करने का हकदार होगा, जहां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 6 के तहत रोक सहित सभी आपत्तियां शामिल हो सकती हैं। यदि सलाह दी जाए तो लिया जाए। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिका सफल होती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और ट्रायल कोर्ट को नागरिक प्रक्रिया संहिता के यू.ओ. 8 आर. 6-ए से 6-जी के अनुसार प्रतिदावे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(5) बार में यह कहा गया है, और ट्रायल कोर्ट द्वारा भी देखा गया है, कि वर्तमान वादी सेंट थॉमस स्कूल की ओर से एक नया मुकदमा

उसके मालिक-सह-प्रिंसिपल के माध्यम से पहले ही दायर किया जा चुका है। यदि ऐसा है तो प्रतिवादी द्वारा पूर्व में दायर प्रतिदावे का निर्णय उस मुकदमे के साथ किया जाए।

(6) पक्षों को वकील के माध्यम से 20 मार्च 1986 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एन.के.एस. ....

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा